न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 22/2026 बउनवानी रहीस खान बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र नामदार खान निवासी मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2026/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
11.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.12.2025. को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत डाक से दिनांक 16.8.2025 को भेजी गयी प्रार्थना पत्र की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।**"अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/एफ.13(01)(176)सूकाअ/2025/168 दिनांक 12.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 5.12.2025 मे चाही गयी सूचना कुल एक पृष्ठ की प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग से प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक.एफ(1)(30)/सूकाअ/2026/246 दिनांक 26.2.2026 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.(1)(30)/सूकाअ/2026/246 दिनांक 26.2.2026 अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (कानाा राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	